

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/ /2024, लखनऊ :: दिनांक 20 मार्च, 2024

-:: संशोधित आदेश ::-

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4 वाराणसी ने पत्र संख्या-58/2024 दिनांक 20.03.2024 द्वारा अवगत कराया है कि उनकी दाहनी आंख का आपरेशन दिनांक 01.04.2024 को होना नियत हुआ है, जिसके कारण दिनांक 08.04.2024 व 12.04.2024 वाराणसी में निर्धारित युगल पीठ सहभागिता करने में असमर्थ है और इस कारण उक्त निर्धारित युगल पीठ से अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत आदेश सं0 345/2024 दिनांक 19.03.2024 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए वाराणसी में दिनांक 08.04.2024 से 12.04.2024 तक गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी। तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह-20.03.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पीठ निरस्त/353/2024 दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4 वाराणसी।
- 2- न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ गोरखपुर।
- 3- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रामत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 4- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।